**अनुबंध-3**

## DCC बैठकों के लिए कार्य-सूची

i. जिला ऋण योजना (DCP) की तैयारी; DCP के अंतर्गत प्रदर्शन की निगरानी; प्राथमिकता क्षेत्रों में ऋण प्रवाह की समीक्षा (विशेष ध्यान उन जिलों पर दिया जाए जिन्हें RBI ने निम्न प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (निम्न PSL) जिलों के रूप में चिह्नित किया है)

ii. सीडी अनुपात; सीडी अनुपात के लिए निगरानी योग्य कार्य योजना (यदि कोई हो) के अंतर्गत प्रदर्शन की समीक्षा

iii. कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों, कृषि-अवसंरचना, FPOs, और MSME (MSME क्लस्टर सहित) वित्तपोषण, कमजोर वर्गों, SHG क्रेडिट-लिंकेज आदि को ऋण की समीक्षा

iv. सरकार प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत ऋण, NPA एवं वसूली

v. प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में ऋण संबंधी राहत उपायों की समीक्षा (यदि कोई हो)।

vi. बैंकिंग सुविधाओं द्वारा अनबैंक्ड ग्रामीण केंद्रों (URCs) का कवरेज

vii. किसी भी ग्रामीण 'बैंकिंग आउटलेट' या एकमात्र अर्ध-शहरी 'बैंकिंग आउटलेट' का राजस्व केंद्र के बाहर विलय/बंद/स्थानांतरण; शाखाएं खोलने के लिए प्रतिवेदन

viii. बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (BCs) के प्रदर्शन की निगरानी

ix. डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार एवं गहनता (EDDPE) के अंतर्गत 100% डिजिटलीकरण की उपलब्धि/बनाए रखना

x. वित्तीय साक्षरता पहलों की समीक्षा जिसमें डिजिटल वित्तीय साक्षरता शामिल है; वित्तीय साक्षरता केंद्रों (FLCs) और वित्तीय साक्षरता के केंद्रों (CFLs) द्वारा आयोजित FL शिविरों की निगरानी

xi. RSETIs सहित कौशल विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन

xii. सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (PMJJBY, PMSBY, APY) के अंतर्गत प्रदर्शन

xiii. DCC/BLBC की उप-समितियों द्वारा भेजे गए मामले

xiv. BLBC बैठकों के आयोजन की समीक्षा

xv. DLRC के कार्य बिंदुओं पर अनुवर्ती कार्रवाई

xvi. अन्य कोई विषय